न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

करण संख्या :– 12/2020

प्रार्थी

1. चुन्नीलाल चौधरी पुत्र धूड़ाराम
   जाति जाट साकिन धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार, गुड़ामालानी
2. गुमना वल्द धूडा
3. वना वल्द धूडा
4. करना वल्द धूडा
5. धापू बेवा धूडा
   जाति जाट साकिन धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. प्रतिवादीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10/08/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाम्भूनगर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 163 रकबा 17–07 बीघा व ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 22–09 बीघा व खसरा नम्बर 140 रकबा 1–00 बीघा की आयी हुई है। प्रार्थी के पिता धूड़ाराम के फौत होने पर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज करते वक्त राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवंश चूनीलाल चौधरी पुत्र धूड़ाराम की जगह प्रार्थी का नाम चूना पुत्र धूडा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, बैंक पासंबुक एवं राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में चूनीलाल ही दर्ज है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चूना दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दरूस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दिनांक ...2020 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। बाबजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 01 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भाम्भूनगर के खसरा नम्बर 163 रकबा 17–07 बीघा, ग्राम धोलानाडा के खसरा नम्बर 41 रकबा 22–09

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

बीघा व खसरा नम्बर 140 रकबा 1—00 बीघा में प्रार्थी का नाम चूना वल्द धूडा दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, एस.बी.आई. बैंक डायरी व रशन कार्ड में प्रार्थी का नाम चूनीलाल चौधरी पुत्र धूडाराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में चूना वल्द धूडा की जगह सही नाम चुनीलाल चौधरी पुत्र धूडाराम किया जाना उचित होना प्रतीत किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता डालूराम चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चूना वल्द धूडा दर्ज है तथा परिवार कार्ड संख्या 00622 में प्रार्थी का नाम चूनीलाल दर्ज है, आधार कार्ड संख्या 631654031577 में चूनीलाल चौधरी एवं बैंक डायरी में चूनीलाल चौधरी दर्ज है। समस्त रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में ''चूना'' दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''चूनीलाल'' है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में ''चूना वल्द धूडा'' के स्थान पर ''चूना उर्फ चूनीलाल पुत्र धूडाराम'' शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भाम्भूनगर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 163 रकबा 17—07 बीघा व ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 22—09 बीघा, खसरा नम्बर 140 रकबा 1—00 बीघा की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम ''चूना पुत्र धूडा'' के स्थान पर ''चूना उर्फ चूनीलाल पुत्र धूडाराम'' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक ......10/08/21......को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:52 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी